न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, जैतारण (जिला. पाली) राज0

पीठासीन अधिकारी : श्री घनश्याम शर्मा, आर0ए0एस0

राजस्व वाद संख्या : 20/2012

वादीगण :-

1. रामप्रकाश पुत्र मदनलाल
2. लक्ष्मणसिंह पुत्र मदनलाल
3. रमेशचन्द पुत्र मदनलाल
4. कमलादेवी पत्नि मदनलाल

जातियान-माली, निवासी-देवरिया
तह0-जैतारण, जिला-पाली (राज.)

बनाम

प्रतिवादीगण :-

1. ओमप्रकाश पुत्र सुखदेव
2. सुवालाल पुत्र सुखदेव
3. चन्द्रप्रकाश पुत्र सुखदेव
4. पूरणमल पुत्र सुखदेव

जातियान-ब्राह्मण,निवासीगण-देवरिया
तह0-जैतारण, जिला-पाली (राज.)

राजस्व वाद बाबत् स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

तारीख रजू:.20.01.2012

उपस्थितः. 1. श्री चुतराराम भाटी, अधिवक्ता, वादीगण।
2. श्री रामस्वरूप चौधरी, अधिवक्ता, प्रतिवादीगण।

-:: निर्णय ::- दिनॉकः- 26/05/2015

वकील मय वादीगण ने एक राजस्व वाद बाबत् स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955, विरूद्ध प्रतिवादीगण इस आशय का प्रस्तुत किया हैं कि सरहद मौजा-देवरिया, तहसील-जैतारण में वादीगण की पैतृक व पुश्तैनी खातेदारी एवं कब्जा काश्त की कृषि भूमि खसरा नम्बर 178 रकबा 42-11 बीघा किस्म चा0दो0, खसरा नम्बर 179 रकबा 0-11 बीघा किस्म गै0मु0रास्ता, खसरा नम्बर 180 रकबा 0-07 बीघा किस्म गै0मु0बेरा, कुल किता-3 कुल रकबा 43-09 बीघा तथा खसरा नम्बर 181, 180/1 कुल किता-2 कुल रकबा 34-13 बीघा किस्म चा0दो0 व गै0मु0बेरा की आई हुई हैं। उक्त भूमि के चारों तरफ वक्त सैटलमेन्ट से खन्दक (खाई) लगी हुई हैं। खन्दक के उपर कांटो की बाड़ की हुई हैं। खन्दक 5 फुट उँची हैं। उक्त कृषि भूमि की जमाबन्दी व नक्शा ट्रेस दावा के साथ पेश किया है जिसे वाद का एक आवश्यक भाग माना जावें। वादीगण की उक्त खातेदारी एवं कब्जे काश्त की भूमि के पास ही प्रतिवादीगण की खातेदारी की भूमि खसरा नम्बर 182 रकबा 2-19 बीघा किस्म बा0दो0 व खसरा नम्बर 184 रकबा 4-10 बीघा किस्म बा0दो0 की आई हुई हैं। प्रतिवादीगण के उक्त दोनों खसरा नम्बर 182 व 184 की जमीन के बीचों बीच राजस्व रेकर्ड में खसरा नम्बर 183 रास्ता आया हुआ हैं। उक्त रास्ता प्रतिवादीगण ने बंद करके अपनी जमीन में मिला लिया, जिससे लोगों के आने जाने में बाधा उत्पन्न होती हैं। प्रतिवादीगण अपनी खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 182, 184 कुल किता-2 कुल रकबा 7-09 बीघा को आबादी में करवाकर प्लॉट काटना चाहते हैं। प्रतिवादीगण वादीगण के खसरा नम्बर 178, 181 व प्रतिवादीगण के खसरा नम्बर 182 के बीच पुरानी वादीगण की 50 वर्षो पहले लगी खन्दक को तोड़कर अपनी जमीन में जबरदस्ती मिलाना चाहते हैं। जबकि उक्त खन्दक वादीगण की भूमि में लगी हुई हैं। प्रतिवादीगण द्वारा खन्दक तोड़कर अपनी भूमि में

उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

Scanned by CamScanner

मिलाने का कोई कानूनी अधिकार प्राप्त नहीं हैं। वादीगण संख्या एक से तीन के पिता व वादी संख्या चार के पति मदनलाल का देहान्त होने से प्रतिवादीगण वादीगण की कमजोरी का फायदा उठाना चाहते हैं। दिनांक 15/01/2012 को प्रतिवादीगण ने वादीगण को ऐलानिया कहा कि खसरा नम्बर 181, 182 व 178 के बीच की खाई (खन्दक) जेसीबी मशीन लगाकर तोड़कर हमारी जमीन में मिला कर प्लोट काट देगें। वादीगण ने मना करने पर प्रतिवादीगण ने कहा कि नजदीक आये तो जान से खत्म कर देगें। प्रतिवादीगण संख्या में ज्यादा होने से लाठी के बल पर खसरा नम्बर 183 जो रास्ता हैं। उसको भी बंद कर अपनी जमीन में मिला दिया हैं। उक्त रास्ता वापिस कायम करवाया जाकर वापिस खुलवाया जावें। प्रतिवादीगण के जमीन आबादी के पास यानि गांव के नजदीक होने से तथा जमीन की किमतें बढ़ने से इनकी नियत खराब हो गई हैं। राजस्व रेकर्ड में बताया गया रास्ता खसरा नम्बर 183 को भी बन्द करने से गांव में विवाद होने का अंदेशा हैं तथा वादी की खन्दक तोड़फोड़ करने पर उतारू हैं। यदि प्रतिवादी वादीगण की पुरानी खन्दक तोड़कर अपने खेत में मिला देगें तो मौके पर लड़ाई झगड़ा होगा, जिससे वादीगण जैरबार हो जायेगें। इसलिए प्रतिवादीगण को वादीगण की खातेदारी एवं कब्जे काश्त की जमीन व खन्दक पर कोई दखलन्दाजी करने व खन्दक (खाई) तोड़ने से जरिए स्थाई निषेधाज्ञा से रोका जाना जरूरी हैं। वादीगण का बिनायवाद दिनांक 15/01/2012 को प्रतिवादीगण ने वादीगण को ऐलानिया कहा कि तुम्हारी खन्दक (खाई) तोड़कर हमारी जमीन में मिला लेगें। तब वादीगण ने प्रतिवादीगण को मना किया। लेकिन प्रतिवादीगण नहीं माने तब मुकाम-देवरिया में विवाद उत्पन्न हुआ। वाद न्यायालय के क्षेत्राधिकार में हैं व अन्दर म्याद हैं। इस प्रकार माफिक दावा वादीगण का वाद डिक्री किये जाने की ईश्तदुआ की हैं। इस पर राजस्व वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण जरिए समनस वास्ते ज0दा0 तलब किये गये। प्रतिवादीगण सं0 2 की ओर से अधिवक्ता श्री रामस्वरूप चौधरी ने वकालतनामा दिनांक 28.02.2012 पेश किया, सा0मि0 किया गया। प्रतिवादीगण सं0 1,3 व 4 की ओर से वकालतनामा पेश करने का अण्डर टेकिंग लेकर दिनांक 28.02.2012 से अवसर चाहे गये किन्तु लगातार अवसर दिये जाने पर भी वकालतनामा एवं ज0दा0 पेश करने में विफल रहने से अवसर दिनांक 26.05.2015 को समाप्त किया गया व ज0दा0 प्रति0सं0 2 की ओर से बन्द किया गया।

पत्रावली आज राजस्व लोक अदालत अटल सेवा केन्द्र-देवरिया पर पेश हुई। मजमा-ए-आम राजस्व लोक अदालत में उभय पक्षों एवं गौतबिरानों के रूबरू बरूवे मौका विवादित ख.नं. 178, 181 व 182 की मौका जांच करवाई गई। पटवारी हल्का द्वारा दिनांक 26.05.2015 को विवादित भूमि का मौका पर पहुँचकर मौका देखा गया एवं नजरीनक्शा बनाया गया, नजरी नक्शे में मार्क ए से बी तक तारबन्दी तथा एक्स स्थान पर खन्दक (पाला) लगा होने के तथ्य उल्लेखित किये हैं, पर्द मौका सा0मि0 है। पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। प्रस्तुत वाद-पत्र मय दस्तावेजात एवं मौका पर्द दिनांक 26.05.2015 का गहनता से अध्ययन किया गया। बहस वकील वादीगण सुनी गई , तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में गौर किया गया। वस्तुतः उक्त विवादित आराजी की भूमि में माफिक पर्द मौका दर्शित नजरी नक्शा में मार्क ए से बी तक की गई तारबन्दी एवं एक्स स्थान पर लगी खन्दक पर कोई दखलन्दाजी करने व तोड़ने से प्रतिवादीगण को जरिए स्थाई निषेधाज्ञा रोका जाना उचित समझते हैं।

उपखण्ड अधिकारी
देवारण (पाली)

Scanned by CamScanner

-:: आदेश ::-

अतः माफिक डिक्री बहक वादीगण विरूद्ध प्रतिवादीगण इस अमर की सादिर की जाती हैं कि सरहद मौजा देवरिया में स्थित कृषि भूमि खसरा 178, 181 व 182 के बीच स्थित फर्द मौका रिपोर्ट दिनांक 26.05.2015 अनुसार मार्क ए से बी अनुसार तारबन्दी तथा एवस स्थान पर लगी खन्दक (पाला) पर कोई दखलन्दाजी करने से जरिए स्थाई निषेधाज्ञा रोका जाता है। डिक्री पर्चा पृथक से बनाया जाकर पत्रावली बद्ध किया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से हो । बाद तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर/लेख्य भण्डार में जमा हों।

उपखण्ड अधिकारी, जैतारण
जिला.पाली (राज0)

निर्णय आज दिनॉक 26/05/2015 को राजस्व लोक अदालत आयोजित [illegible] —देवरिया सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी, जैतारण
जिला.पाली (राज0)

डिक्री बमुकदमें इब्तदाई

(ओ 21 रूल 6,7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत :- उपखण्ड अधिकारी, मुकामः- जैतारण

बईजलास :- श्री घनश्याम शर्मा, आर०ए०एस०

वादीगण :- बनाम प्रतिवादीगण :-

वादीगण	प्रतिवादीगण
1. रामप्रकाश पुत्र मदनलाल	1. ओमप्रकाश पुत्र सुखदेव
2. लक्ष्मणसिंह पुत्र मदनलाल	2. सुवालाल पुत्र सुखदेव
3. रमेशचन्द पुत्र मदनलाल	3. चन्द्रप्रकाश पुत्र सुखदेव
4. कमलादेवी पत्नि मदनलाल	4. पूरणमल पुत्र सुखदेव
जातियान-माली, निवासी-देवरिया	जातियान-ब्राह्मण,निवासीगण-देवरिया
तह0-जैतारण, जिला-पाली (राज.)	तह0-जैतारण, जिला-पाली (राज.)

राजस्व वाद बाबत् घोषणा, बंटवाड़ा व स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 88, 53 एवं 92ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

मु0न0 :रा0वा0स0:352/2015

यह मुकदमा आज वास्ते ईनफिसाल कतई रूबरू ....-........ व हाजरी श्री पुतराराम भाटी, अधिवक्ता, वादी मिनजानिब मुद्दई व मिनजानिब मुद्दायलाह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि माफिक डिक्री बहक वादीगण विरूद्ध प्रतिवादीगण इस अमर की सादिर की जाती हैं कि सरहद मौजा देवरिया में स्थित कृषि भूमि खसरा 178, 181 व 182 के बीच स्थित फर्द मौका रिपोर्ट दिनांक 26.05.2015 अनुसार मार्क ए से बी अनुसार तारबन्दी तथा एक्स स्थान पर लगी खन्दक (पाला) पर कोई दखलन्दाजी करने से जरिए स्थाई निषेधाज्ञा रोका जाता है। डिक्री पर्चा पृथक से बनाया जाकर पत्रावली बद्ध किया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से हो । बाद तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर/लेख्य भण्डार में जमा हों।

नीज ....-....मुबलिक.....-....बाबत.....-....खर्चा इस मुकदमें मय सूद व शहर....-.....फीस सदी सालाना आज की तारीख वसूल याबी तक .....-.....को अदा करें।

बसिब्त मेरे दस्तखत व मोहर अदालत के आज तारीख 26/05/2015 को जारी किया गया ।

उपखण्ड अधिकारी,जैतारण (जिला-पाली)

(मोहर: उपखण्ड अधिकारी जैतारण (पाली))

मोहर

मुद्दई	रुपये पैसे	मुद्दायलाह	रुपये पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा	1=00	स्टाम्प वकालतनामा	1=00
स्टाम्प वकालतनामा	1=00	स्टाम्प अर्जी	
स्टाम्प वजह सबूत	4=00	महनताना वकील	
महनताना वकील	—	खर्चा गवाहान	
खर्चा गवाहान	2=00	फीस कमीश्नर	
फीस कमीश्नर	—	बाबत ईजराय हुक्मनामा	
बाबत ईजराय हुक्मनामा	—	मुतफरिक	
मिजानः-	8=00	मिजानः-	1=00

नोटः- इस खर्चे के फार्म पर कुल खर्चा यह हो फरीकेन को चाहे डिक्री के जरिए दिलाया गया हो, नहीं दर्ज किया जावें ।

Scanned by CamScanner